

19/12/2023

पत्रावली पेश हुई। पैरीकार सरकार का जवाब व मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पैरीकार सरकार को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से पत्र लिखा जावे। पत्रावली वास्ते जवाब व मौका रिपोर्ट पैरीकार सरकार दिनांक 11/01/2024 को पेश हो।

S.D.O

11/01/2024

पत्रावली पेश हुई...अ.मि.श्रावक संघ द्वारा न्यायिक कार्य संचालित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/01/24 को पेश की जावे।

S.D.O

24/01/2024

पत्रावली पेश हुई...अ.मि.श्रावक संघ द्वारा न्यायिक कार्य संचालित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/02/2024 को पेश की जावे।

S.D.O

15/02/2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी व पैरीकार सरकार उपस्थित। पैरीकार सरकार ने जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अक्सर वाब जो दिया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब व मौका रिपोर्ट पैरीकार सरकार दिनांक 22/02/2024 को पेश हो।

S.D.O

22/02/2024

पत्रावली पेश हुई लक्ष्मणवार अद्वयक्ष कोर्ट द्वारा बलव किसे जाने के विरोध में अ.मि.श्रावक संघ द्वारा न्यायिक कार्य संचालित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/03/24 को पेश की जावे।

S.D.O



05/03/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्राधी द्वारा पत्रावली में Not-press कर निवेदन किया कि

राजीनाम
दोके ड
जोब कारवाही
नहीं पाएता
ह
कोर्ट

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

शमलाल

बनाम

भांगीलाल


किसम मुकदमा

प्रा.पत्र

नं०

110

सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ जारी हुए
	<p>पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्राथी द्वारा पत्रावली में Not-pleaded कर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली को इसी स्तर पर विट्टी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	

जवाब
कार को
पृथक
बाब व
10/1/2024

र
रिपोर्ट
ह
कार